

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- लेखा/2026

दिनांक :-

शहरी सेवा शिविर – 2026 में विभिन्न सेवाओं के लिये प्रस्तावित दरें

1. लीज राशि में छूट :-

क्र.सं.	सेवाओं का विवरण	छूट का विवरण
01.	पिछले वर्षों की सम्पूर्ण लीज राशि वर्ष 2026-27 तक जमा करने पर	बकाया लीज राशि पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत छूट
02	पिछले वर्षों की सम्पूर्ण लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एवं फ्री-होल्ड हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 08 वर्ष की लीज राशि अग्रिम एकमुश्त जमा कराने पर	बकाया लीज राशि पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत छूट के साथ बकाया लीज पर भी 60 प्रतिशत की छूट

2. एन.सी.पी/पुर्नग्रहण शुल्क में छूट :-

भूखण्ड के पुर्नग्रहण शुल्क में छूट निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	क्षेत्रफल वर्गमीटर	छूट का प्रतिशत
01.	250 वर्गमीटर तक	75 प्रतिशत
02	251 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक	50 प्रतिशत
03.	501 वर्गमीटर से अधिक एवं 1000 वर्गमीटर तक	25 प्रतिशत

3. कृषि भूमि नियमन की प्रीमियम दर में छूट :-

विवरण	क्षेत्रफल वर्गमीटर	छूट का प्रतिशत
प्रीमियम राशि + बह्य एवं आन्तरिक विकास शुल्क + बीएसयूपी शुल्क के योग पर देय छूट	100 वर्गमीटर तक	50 प्रतिशत
	101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक	40 प्रतिशत
	201 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक	25 प्रतिशत

4. कृषि भूमि के नियमन में लीज राशि की गणना हेतु रियायती प्रीमियम दर :-

अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र के भीतर				अधिसूचना दिनांक 13.02.2020 के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र	
क्र.सं.	क्षेत्रफल	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- लेखा / 2026

दिनांक :-

					(प्रति वर्गमीटर)
01.	100 वर्गमीटर तक	310 / -	155 / -	260 / -	130 / -
02.	101 से 200 वर्गमीटर तक	310 / -	186 / -	260 / -	156 / -
03.	201 से 500 वर्गमीटर तक	430 / -	323 / -	360 / -	270 / -

नोट :- 1. उक्त वर्णित दरों में कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए गणना की जावेगी।

2. रियायती प्रीमियम दरों पर लीज राशि की गणना की जायेगी।

5. उपविभाजन/पुर्नगठन में छूट :-

क्र.सं.	क्षेत्रफल	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)
01.	250 वर्गमीटर तक	75 / -	19 / -
02.	251 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक	75 / -	38 / -
03.	501 वर्गमीटर से अधिक एवं 1000 वर्गमीटर तक	75 / -	57 / -

6. भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट :-

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)
01.	गैर व्यावसायिक भू-उपयोग से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन में	500 वर्गमीटर तक	आरक्षित दर का 40 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 20 प्रतिशत	आरक्षित दर का 20 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 10 प्रतिशत
		501 वर्गमीटर से अधिक एवं 1000 वर्गमीटर तक	आरक्षित दर का 40 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर	आरक्षित दर का 30 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- लेखा / 2026

दिनांक :-

			का 20 प्रतिशत	का 15 प्रतिशत
02.	निर्धारित भू-उपयोग से भिन्न भू-उपयोग परिवर्तन (व्यावसायिक को छोड़कर)	500 वर्गमीटर तक	आरक्षित दर का 20 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 10 प्रतिशत	आरक्षित दर का 10 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 5 प्रतिशत
		501 वर्गमीटर से 1000 वर्गमीटर तक	आरक्षित दर का 20 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 10 प्रतिशत	आरक्षित दर का 15 प्रतिशत जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां डीएलसी दर का 7.5 प्रतिशत

7. भवन निर्माण स्वीकृति :-

क्र.सं.	प्रकरण	क्षेत्रफल	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)
01.	भवन निर्माण स्वीकृति	250 वर्गमीटर तक	2500 रुपये की छूट
		251 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक	50 प्रतिशत की छूट

नोट :- बेटरमेंट लेवी/पार्किंग शुल्क पर कोई छूट देय नहीं है।

8. खांचा भूमि के आवंटन में छूट :-

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)	आवंटन की सक्षमता
01.	खांचा भूमि आवंटन	100 वर्गगज तक	आरक्षित दर की दुगुनी x क्षेत्रफल	आरक्षित दर x क्षेत्रफल	निकाय स्तर

नोट :- 1. निकाय स्तर पर 100 वर्गगज से अधिक एवं 200 वर्गगज तक खांचा भूमि का भी आवंटन किया जा सकेगा। परन्तु दर में कोई छूट देय नहीं होगी।

2. निकायों की योजना में यदि भूखण्ड नीलामी से विक्रय किया गया है एवं उक्त भूखण्ड की दर

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक :- लेखा/2026

दिनांक :-

वर्तमान दर की दुगुनी दर से अधिक है तो नीलामी की दर से देय होगी।

9. नामान्तरण शुल्क में छूट :-

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल	वर्तमान दर (प्रति वर्गमीटर)	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)
1.	नामान्तरण या नाम परिवर्तन शुल्क	100 वर्गमीटर तक	10/-	5/-
		101 से 300 वर्गमीटर तक	15/-	7.5/-
		301 से 500 वर्गमीटर तक	20/-	10/-
		500 वर्गमीटर से अधिक	25/-	12.5/-

10. 10 वर्ष पूर्व बेचान शास्ति में छूट :-

क्र.सं.	विवरण	शहरी सेवा शिविर -2026 में प्रभावी दर (प्रति वर्गमीटर)
1.	10 वर्ष पूर्व बेचान शास्ति	50 प्रतिशत छूट

11. अन्य छूट :-

- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी की एकमुश्त बकाया किस्त जमा करवाये जाने की स्थिति में ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट देते हुए नियमन किया जावेगा।
- लॉटरी/नीलामी द्वारा बेचे गये आवासीय भूखण्डों में बिना शास्ति ब्याज नीलामी/आवंटन राशि जमा हो चुकी है, उनको बिना ब्याज शास्ति के पट्टा जारी करने की छूट रहेगी।
- जिन प्रकरणों में नई टाउनशिप पॉलिसी-2024 आने से पूर्व 90-ए की कार्यवाही हो गई थी, उन समस्त प्रकरणों में अभियान अवधि के दौरान स्थानीय स्तर पर पुरानी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जावेगा।